

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2210]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 28, 2014/कार्तिक 6, 1936

No. 2210]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 28, 2014/KARTIKA 6, 1936

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2014

का.आ. 2770 (अ).—केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 26 की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2155(अ), तारीख 21 सितम्बर, 2011 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर, महाराष्ट्र से एक प्रतिनिधिसदस्य", शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"संयुक्त सचिव, कंपनी कार्य-1(सीए-1) अनुभाग, कोयला मंत्रालय.....सदस्य"

[फा. सं. 34011/02/2004-सीआरसी-सीपीएम]

ए. के. भल्ला, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना का.आ. 2155 (अ), तारीख 21 सितम्बर, 2011 को प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् का.आ. 784(अ), तारीख 20 मार्च, 2013 और का.आ. 942(अ), तारीख 10 अप्रैल, 2013 द्वारा संशोधित की गई।

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2014

S.O. 2770(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 26 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 2155(E), dated 21st September, 2011, namely :—

In the said notification, after the words "A representative from Indian Bureau of Mines, Nagpur, MaharashtraMember", the following shall be inserted, namely :—

“Joint Secretary, Company Affairs –I (CA-I) Section, Ministry of Coal ...Member”.

[F. No. 34011/02/2004-CRC-CPAM]

A. K. BHALLA, Jt. Secy

Footnote—The principal notification was published *vide* number S.O. 2155 (E), dated the 21st September, 2011 and subsequently amended *vide* number S.O. 784(E), dated the 20th March, 2013 and S.O. 942(E), dated the 10th April, 2013.